



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-13102025-266886
CG-CG-E-13102025-266886

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4500]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 10, 2025/आश्विन 18, 1947

No. 4500]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 10, 2025/ASVINA 18, 1947

रेल मंत्रालय

(दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे)

अधिसूचना

बिलासपुर, 9 अक्टूबर, 2025

रेल अधिनियम 1989 की धारा 20ए के तहत अधिसूचना

का.आ. 4629(अ).—रेल अधिनियम 1989 की धारा 20ए की उपधारा (1) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (89 का 24) केन्द्रीय सरकार, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए संतुष्ट होने के बाद ऐसी भूमि का, जिसका संक्षिप्त वर्णन संलग्न अनुसूची में दिया गया है, जो कि विषय रेल परियोजना अर्थात् “भूपदेवपुर 303 सबवे सहित सड़क ओवर ब्रिज के निर्माण द्वारा लेवल क्रॉसिंग संख्या - रॉबर्टसन-

"का उन्मूलन परियोजना (रायगढ़) के छत्तीसगढ़ राज्य में निष्पादन के लिए आवश्यक हैं, एतद् द्वारा अधिग्रहण करने के अपने आशय की घोषणा करती हैं, उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त अधिनियम की धारा 20द की उपधारा (1) के अधीन, पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन एवं उपयोग के संबंध पर आक्षेप कर सकेगा; ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, यानि अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय, रायगढ़ छत्तीसगढ़ को लिखित में किया जाएगा और उसके आधार उपवर्णित किये जायेंगे तथा सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को वैयक्तिक रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी अतिरिक्त जाँच, यदि कोई हो तो, करने के पश्चात्, जो सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, आक्षेपों को

या तो अनुज्ञात या अन अनुज्ञात कर सकेगा; उक्त अधिनियम की धारा 20द की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा । इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांक एवं अन्य ब्योरे उपलब्ध है हितबद्ध व्यक्ति द्वारा उनका निरीक्षण सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची									
छत्तीसगढ़ राज्य में रेल लाईन-विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, “भूपदेवपुरसबवे सहित सड़क ओवर - रॉबर्टसन-का उन्मूलन 303 ब्रिज के निर्माण द्वारा लेवल क्रॉसिंग संख्या” के लिए अधिग्रहण किए जाने वाली संरचना सहित या उसके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण:-									
जिला का नाम:- रायगढ़									
तहसील का नाम:- खरसिया									
क्र.	ग्राम का नाम	क्र.	खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे०)	क्र.	ग्राम का नाम	क्र.	खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे०)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	बड़ेजामपाली	1.	95	0.284	1	बड़ेजामपाली	7	92/9/क	0.088
		2.	92/13/क	0.018			8	92/9/ख	0.081
		3.	92/13/ख	0.084			9	8/53/क	0.042
		4.	92/12	0.094			10	8/54/क	0.003
		5	92/11	0.099			11	21	0.028
		6	92/10/क	0.125					
								कुल	0.946

कुल भूमि (बड़ेजामपाली) – 0.946 हे०

[फा. सं. डीवाई.सीई/जीएसयू/बी एस पी/आर ओ बी /एल सी संख्या 303/भूमि अधिग्रहण/20A]

संजय बा. नागभिडकर, प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण/आरएसपी

MINISTRY OF RAILWAYS

(S.E.C. Railway)

NOTIFICATION

Bilaspur, the 9th October, 2025

Notice under Section 20 A of the Railways Act 1989

S.O. 4629(E).—In exercise of Powers conferred by sub section (1) of section 20A of the Railways Act 1989 (24 of 89) (hereinafter referred as the said act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, brief description of which is given in the schedule annexed here to is required for execution of Special Railway project, namely “**Bhupdeopur-Robertson - Elimination of level crossing No.303 by construction of road over bridge with subway.**” in the state of Chhattisgarh, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within a period of 30 days for the date of publication of this notification in the official gazette, raise objection to the acquisition of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said act; Every objection shall be made to the competent Authority, namely, Sub- Divisional Officer (Revenue), Kharsia SDM office, Raigarh, Chhattisgarh in writing, and shall set out ground thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or through a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections; Any order made by the Competent Authority under sub-section(2) of section 20D of the said Act shall be final; The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE									
Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for the Special Railway project, namely, “ Bhupdeopur-Robertson - Elimination of level crossing No.303 by construction of road over bridge with subway ” in the State of Chhattisgarh.									
Name of District: Raigarh									
Name of Tahsil: Kharsia									
No.	Name of Village	No.	Khasra No.	Area (in Hect.)	No.	Name of Village	No.	Khasra No.	Area (in Hect.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	BadeJampali	1.	95	0.284	1	BadeJampali	7	92/9/d	0.088
		2.	92/13/d	0.018			8	92/9/[k	0.081
		3.	92/13/[k	0.084			9	8/53/d	0.042
		4.	92/12	0.094			10	8/54/d	0.003
		5	92/11	0.099			11	21	0.028
		6	92/10/d	0.125					
								Total	0.946

Total Land (BadeJampali) : 0.946 Hectare

[F. No, DY.CE/GSU/BSP/ROB/LC No. 303/land acquisition/]
SANJAY B. NAGBHIDKAR, Chief Administrative Officer/C/RSP